संशोधित स्मृति पत्र

1. संस्था का नाम : लखनऊ पब्लिक स्कूल समिति, लखनऊ।
2. संस्था का पता : 567/120, जेल रोड, आनन्द नगर, लखनऊ।
3. संस्था का कार्य क्षेत्र : सम्पूर्ण भारतवर्ष।
4. संस्था का उद्देश्य :
   1. भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का प्रसार करना।
   2. सभी वर्गों के नागरिकों के बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान कराने के अवसर प्रदान करना।
   3. शिक्षा के माध्यम से मानव जाति की सेवा करना तथा उनके मानसिक, शारीरिक एवं अध्यात्मिक विकास के अवसर प्रदान करना।
   4. जन हित में स्वास्थ्य सेवाओं के लिये चिकित्सालयों की स्थापना शासन से अनुमति के उपरान्त करना।
   5. भारतीय भाषाओं के प्रचार प्रसार एवं विकास के लिए सार्थक प्रयास करना।
   6. सामान्य शिक्षा के प्रसार एवं विकास के उद्देश्य से बालक–बालिकाओं के लिए विभिन्न विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्थापना एवं संचालन करना तथा पंजीकृत समितियों/ट्रस्ट के समान उद्देश्य की पूर्ति हेतु आर्थिक मदद/संसाधन उपलब्ध कराना।
   7. सामाजिक आवश्यकताओं को देखते हुए, तकनीकी मेडिकल, मैनेजमेन्ट, फाइनेंस तथा अन्य सम सामयिक पाठ्यक्रमों को संचालित करने हेतु मान्यता प्राप्त कर संस्थाओं की स्थापना करना।
   8. सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन हेतु जनसाधारण तक आवश्यक ज्ञान का प्रसार करना, गोष्ठियों का आयोजन करना, गरीबों हेतु शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा के भी कार्यक्रम चलाना।
   9. सभी जाति एवं धर्म के बच्चों को समान स्तर पर शिक्षा देना तथा उनके विकास एवं प्रतिभा खोज के विशेष प्रयास करना।
   10. देश के नागरिकों में बौद्धिक विकास के कार्यक्रमों द्वारा राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीय एकता तथा राष्ट्रोत्थान की भावना का विकास करना।
   11. सभी भाषाओं के उत्कृष्ट लेखकों तथा उनकी रचनाओं को प्रकाशित/सम्मानित करना कवि सम्मेलन कराना।
   12. प्राकृतिक आपदाओं में देश के पीड़ितों की मदद करना, धन व राहत सामग्री देना।
   13. दिव्यांग बच्चों हेतु शिक्षक तैयार करने के लिए प्रशिक्षण विद्यालयों/महाविद्यालयों की स्थापना एवं उनका संचालन करना।
   14. समय के अनुसार अपने संस्थाओं में पूरे विश्व में हो रहे परिवर्तनों, नव प्रवर्तनो इनोवेशन के अनुसार नये–नये कोर्सेज लाना, विश्व की किसी भी संस्था अथवा बोर्ड/विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त विद्यालय/महाविद्यालय चलाना।
   15. विश्व के अन्य देशों में भी विद्यालय स्थापित करना।

(सत्यप्रतिलिपि)

(हस्ताक्षर)

1   2

3   4

सत्य प्रतिलिपि

10087-2020

General Manager
Lucknow Public School Samiti
Lucknow

...यक फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स * लखनऊ मण्डल लखन...

सत्यमेव जयते

I - 75824

फाइल का क्रम ....

पत्रावली का क्रम ....

आज दिनांक ....

उप निबन्धक समितियां
लखनऊ मण्डल, लखनऊ

संशोधित नियमावली

1. संस्था का नाम : **लखनऊ पब्लिक स्कूल समिति, लखनऊ।**
2. संस्था का पता : **567/120, जेल रोड, आनन्द नगर, लखनऊ।**
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : **सम्पूर्ण भारतवर्ष।**
4. परिभाषाएँ : नियमावली मे दिये गये नियमों या परिनियमों मे यदि कोई अन्य सन्दर्भ न हो तो साधारणतया :–
   अ. सोसाइटी से तात्पर्य :– लखनऊ पब्लिक स्कूल समिति, लखनऊ से होगा।
   ब. गवर्निंग कौंसिल (प्रबन्ध समिति) का तात्पर्य "लखनऊ पब्लिक स्कूल समिति" की प्रबन्धकारिणी समिति से होगा।
   स. साधारण सभा से तात्पर्य लखनऊ पब्लिक स्कूल समिति के आजीवन सदस्यों तथा साधारण सदस्यों के संयुक्त सदन से होगा।
5. <u>सदस्यता</u> :–
   अ. <u>आजीवन सदस्य</u>:– संस्था को ₹ 25000/–(₹ पच्चीस हजार) या इतनी धनराशि की सम्पत्ति देने वाले व्यक्ति को महामन्त्री द्वारा आजीवन सदस्य बनाया जा सकता है। आजीवन सदस्य का कार्यकाल जीवन पर्यन्त होगा तथा उसे भविष्य में कोई चन्दा देय नहीं होगा। उन्हें भी संस्था विरोधी कार्य करने पर महामन्त्री द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है।
   ब. <u>साधारण सदस्य</u>:– साधारण सदस्य का कार्यकाल एक वर्ष होगा तथा साधारण सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को समिति के निर्धारित प्रपत्र पर संस्था के महामंत्री को आवेदन करना होगा। उसकी सदस्यता महामन्त्री द्वारा स्वीकृत की जायेगी तथा ₹ 100/–(₹ एक सौ) प्रति वर्ष सदस्यता शुल्क देय होगा।
   साधारण सदस्य यदि प्रबन्ध समिति का सदस्य चुना जाता है तो उसे प्रबन्ध समिति के कार्यकाल तक सदस्यता दी जायेगी और प्रतिवर्ष निर्धारित चन्दा समय से देय होगा। सभी सदस्यों को अप्रैल/मई माह में महामन्त्री के पास चन्दा जमा करना होगा।

सत्य प्रतिलिपि

10/09/2020

General Manager
Lucknow Public School Samiti
Lucknow

6. **साधारण सभा का गठन, बैठके, अधिकार तथा कर्तव्य :–**

अ. आजीवन सदस्यों तथा साधारण सदस्यों के मिले जुले सदन को समिति की साधारण सभा की संज्ञा दी जायेगी। अर्ह सदस्यों के अतिरिक्त महामंत्री तथा अध्यक्ष किसी व्यक्ति को आम सभा में उसकी गुणवत्ता के आधार पर भाग लेने के लिए आमन्त्रित कर सकते हैं।

ब. पूरे वर्ष में कम से कम एक बार साधारण सभा की बैठक आयोजित की जायेगी। बैठक का एजेन्डा डाक द्वारा या वाहक द्वारा पदाधिकारियों/सदस्यों के प्राप्ति हस्ताक्षर लेकर भेजा जायेगा जिससे यथा सम्भव बैठक का एजेन्डा वास्तविक तिथि से पूर्व मिल सके।

स. बैठक का कोरम कुल सदस्य संख्या का 2/3 होगा। कोरम के अभाव में अध्यक्ष तथा महामन्त्री बैठक को स्थगित करके दो घंटे बाद पुनः बुला सकते हैं। स्थगन के बाद ऐसी किसी बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होगी।

द. सोसाइटी की साधारण सभा संविधान तथा नियमावली में अन्य कोई संशोधन आवश्यकता पड़ने पर कर सकती है इसमें कुल सदस्य संस्था का 2/3 बहुमत आवश्यक है।

य. साधारण सभा, सोसाइटी एवं सोसाइटी द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं के आय–व्यय के लेखा–जोखा का निरीक्षण एवं अनुमोदित करेगी।

र. साधारण सभा 9 सदस्यों की एक प्रबन्ध समिति 5 वर्षों के लिए चयनित करेगी।

7. **प्रबन्धकारिणी समिति (गवर्निंग कौंसिल) का गठन, अधिकार एवं कर्तव्य :–**

सोसाइटी की साधारण सभा प्रति पाँच वर्षों की अवधि के लिए प्रबन्ध समिति का चुनाव महामन्त्री के नेतृत्व में करेगें जिसमें महामन्त्री पद का चुनाव नहीं होगा, महामंत्री स्थाई पद होगा। शेष 8 पदों का चुनाव होगा। अन्तिम मतदाता सूची महामन्त्री द्वारा ही तैयार की जायेगी जो सर्वमान्य होगी। प्रबन्ध समिति में महामंत्री/महाप्रबन्धक सहित कुल 9 पदाधिकारी होंगे।

i. अध्यक्ष–एक (1) ii. उपाध्यक्ष–एक (1)
iii. महामंत्री/महाप्रबन्धक–एक (1) iv. उपमन्त्री–एक (1)
v. कोषाध्यक्ष–एक (1) vi. सदस्य–चार (4)

महामन्त्री/महाप्रबन्धक द्वारा सदस्यता रजिस्टर में अंकित सदस्य प्रबन्ध समिति के चुनाव में भाग लेने के लिए अर्ह होंगे। प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष व महामन्त्री/महाप्रबन्धक मिलकर संस्था के विकास तथा उचित प्रबन्धन हेतु एक सलाहकार समिति (Advisory Board) का गठन कर सकते है जिसमें समाज के संभ्रान्त एवं सुशिक्षित लोग होंगे इनकी संख्या 5 से 7 तक हो सकती है। सलाहकार समिति का कार्य, केवल उचित राय महामन्त्री को देना होगा उसे लागू करना अथवा न करना महामन्त्री के विवेक पर निर्भर करेगा।

अ. सोसाइटी की प्रबन्ध समिति की सामान्यतः प्रत्येक वर्ष में तीन बैठकें की जानी चाहिए महामन्त्री/महाप्रबन्धक द्वारा एजेन्डा निकालकर डाक द्वारा 10 (दस) दिन पूर्व या वाहक द्वारा 5 (पाँच) दिन पूर्व हस्ताक्षर प्राप्त करके सूचना प्रेषित की जायेगी। आवश्यकता पड़ने पर तीन दिन की सूचना पर भी प्रबन्ध समिति की बैठक आहूत की जा सकेगी।

सत्य प्रतिलिपि

General Manager
Lucknow Public School Samiti
Lucknow

ब. सोसाइटी की प्रत्येक चल–अचल सम्पत्ति की व्यवस्था, दान–अनुदान प्राप्त करना व देना, क्रय–विक्रय, आय–व्यय बैंको में सोसाइटी के खातो का नियन्त्रण सोसाइटी तथा उसके द्वारा संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों पर कार्यकारी नियंत्रण समिति की ओर से महामन्त्री द्वारा किया जायेगा। संस्था हित में कोई भी अविलम्बनीय निर्णय महामन्त्री द्वारा लिया जा सकेगा जो, सर्वमान्य होगा।

स. अध्यक्ष एवं महामंत्री/महाप्रबन्धक मिलकर समिति की ओर से अविलम्बनीय किन्तु उचित एवं आवश्यक निर्णय ले सकते हैं जिसका अनुमोदन प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के बीच सर्कुलेट करके ले सकते हैं।

द. दूसरी संस्थाओं/समितियों/चैरिटेबल ट्रस्ट/सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं से दान–अनुदान प्राप्त करना व अन्य सोसाइटीज/संस्थाओं/ट्रस्ट को जो समान उददेश्य/उददेश्यों हेतु कार्य कर रही हैं उन्हें दान–अनुदान/संसाधन प्रदान करना।

7. (ए) विद्यालय/कालेज/महाविद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन, अधिकार एवं कर्तव्यः–

अ. सोसाइटी द्वारा संचालित विद्यालय के कुशल प्रबन्धन हेतु सोसाइटी की प्रबन्ध समिति, विद्यालय/कालेज/महाविद्यालय की अलग प्रबन्ध समिति का गठन करेगी जिसका कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। जिसमें सदस्यों की संख्या व संरचना सम्बन्धित बोर्ड/राज्य के निर्देशों के अनुरूप होगी और अन्यथा की दशा में 12 होगी। इसका विवरण निम्नवत् होगाः–

i. अध्यक्ष (सोसाइटी की प्रबन्ध समिति का महामंत्री/महाप्रबन्धक होगा।)
ii. नामित सदस्य–3 (सोसाइटी की प्रबन्ध समिति द्वारा)
iii. नामित सदस्य–1 (शिक्षा विभाग द्वारा नामित)
iv. मंत्री/प्रबन्धक (विद्यालय की प्रधानाचार्या/प्रधानाचार्य पदेन मंत्री/प्रबन्धक होगी/होंगे)
v. सदस्य–6 (विद्यालय के दो वरिष्ठ शिक्षक, विद्यालय के छात्रों के दो अभिभावक व दो वाह्य शिक्षाविद्)

ब. विद्यालय प्रबन्ध समिति की वर्ष मे कम से कम एक बैठक होगी। बैठक की सूचना विद्यालय प्रबन्ध समिति के मंत्री/प्रबन्धक द्वारा अध्यक्ष के अनुमोदन के उपरान्त सभी सदस्यों को एक सप्ताह पूर्व फोन द्वारा दी जायेगी। बैठक का एजेन्डा मत्री/प्रबन्धक, अध्यक्ष की सहमति से तैयार करेगा। इस एजेन्डे को विद्यालय प्रबन्ध समिति की बैठक में चर्चा एवं अनुमोदन हेतु रखा जायेगा। विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्य कोई अन्य एजेन्डा भी विद्यालय के विकास हेतु अध्यक्ष की अनुमति से रख सकते है। इन एजेन्डो पर भी विद्यालय प्रबन्ध समिति चर्चा कर निर्णय लेगी।

सभी अनुमोदित एजेन्डो को विद्यालय प्रबन्ध समिति, सोसाइटी की प्रबन्ध समिति को वित्तीय अनुदान आदि हेतु प्रस्तुत करेगी। विद्यालय प्रबन्ध समिति का कोरम भी सदस्यों का ½ + 1 भाग होगा।

सत्य प्रतिलिपि

General Manager
Lucknow Public School Samiti
Lucknow

8. पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :-

अ. **अध्यक्ष** :- सोसाइटी की प्रबन्ध समिति के लिए साधारण सभा अध्यक्ष का चयन करेगी। अध्यक्ष समिति के दोनो सदनों (साधारण सभा एवं प्रबन्ध समिति) की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। सोसाइटी या प्रबन्ध समिति की बैठक में व्यवधान डालने वाले व्यक्ति को अध्यक्ष, महामन्त्री की सहमति द्वारा बैठक से निष्कासित कर सकता है यदि वह अपने व्यवहार मे सुधार नही करता है तो अध्यक्ष व महामंत्री मिलकर उसकी सदस्यता भी समाप्त कर सकते हैं, चाहे वह आजीवन सदस्य ही क्यों न हो। अध्यक्ष संस्था की चल-अचल सम्पत्ति का संरक्षक होगा। सोसाइटी के खातों का परिचालन महामन्त्री एवं अध्यक्ष अथवा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा। संस्था की किसी समिति की बैठक में बराबर-बराबर मत विभाजन की स्थिति मे अध्यक्ष को अपना निर्णायक मत देने का अधिकार होगा सोसाइटी अथवा उसके द्वारा संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों की नियुक्ति / विमुक्ति अथवा दण्ड की कार्यवाही अध्यक्ष, महामन्त्री के माध्यम से करायेगा। संस्था के क्रियाकलापों में अपने सुझाव महामन्त्री को देगा तथा कार्यक्रमों में उपस्थित रहकर हर सम्भव सहयोग देगा इसके अतिरिक्त समिति के उत्थान के लिए हर वांछित सहयोग सदस्यों एवं पदाधिकारियों से लेकर हमेशा तत्पर रहेगा।

ब. **उपाध्यक्ष**:- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष सोसाइटी तथा कौन्सिल की बैठकों की अध्यक्षता करेगा और अध्यक्ष द्वारा निर्गत अन्य अधिकारों का प्रयोग करेगा।

स. **महामन्त्री**:- सोसाइटी का महामन्त्री ही सोसाइटी की प्रबन्ध समिति का महामन्त्री / महाप्रबन्धक होगा। सोसाइटी द्वारा संचालित संस्थाओं मे महामन्त्री को महाप्रबन्धक के रूप मे नामित किया जायेगा। महामंत्री सोसाइटी तथा उसके द्वारा संचालित संस्थाओ का कार्यपालक अधिकारी एवं संरक्षक होगा। महामन्त्री / महाप्रबन्धक को यह अधिकार होगा कि संस्था हित मे प्रबन्ध समिति के किसी भी पदाधिकारी को संस्था विरोधी गतिविधि में संलिप्त पाये जाने पर पदच्युत कर उसके स्थान पर किसी अन्य सदस्य को बाकी कार्यकाल के लिए चयनित कर सकता है। जिसका अनुमोदन बाद में साधारण सभा से भी करा लिया जायेगा। समस्त चल-अचल सम्पत्ति की व्यवस्था कर्मचारियों की नियुक्ति / विमुक्ति तथा दण्ड सम्बन्धी कार्यवाही महामन्त्री द्वारा की जायेगी। समिति की बैठकें बुलाना, अभिलेख का रख-रखाव आदि के लिए महामन्त्री उत्तरदायी होगा। समिति के बैंक खातो का परिचालन महामन्त्री तथा अध्यक्ष अथवा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा। महामन्त्री सोसाइटी अथवा उसके द्वारा संचालित संस्थाओं की व्यवस्था, विकास तथा संचालन का कार्य देखेगा। नित्य प्रति के आय-व्यय हेतु सोसाइटी द्वारा संचालित संस्थाओं / विद्यालयों के नाम से केवल महाप्रबन्धक के हस्ताक्षरों से परिचालित बैंक खाते खोले जा सकते है ऐसे खाते का परिचालन केवल महाप्रबन्धक के हस्ताक्षरों से होगा। महामन्त्री सोसाइटी अथवा उसके द्वारा

सत्य प्रतिलिपि

General Manager
Lucknow Public School Samiti
Lucknow

संचालित संस्थाओं के लिए व्यक्तियों, संगठनों, सरकार अथवा बैंको से दान–अनुदान अथवा ऋण प्राप्त करेगा तथा इसकी रसीद देगा। सोसाइटी या उसके द्वारा संचालित संस्थाओं द्वारा या उसके विरूद्ध किसी न्यायालय में वाद महामन्त्री/महाप्रबन्धक के नाम से किया जायेगा। महाप्रबन्धक ऐसे वादों की जानकारी समय–समय पर प्रबन्ध समिति को देता रहेगा। प्रबन्ध समिति के चुनाव के समय महामन्त्री/महाप्रबन्धक पद पर चुनाव नहीं होगा और संस्थापक होने के नाते इस पद पर आजीवन कार्य करते रहेगे इनकी मृत्यु के उपरान्त इनका उत्तराधिकारी/वारिस ही महामन्त्री/महाप्रबन्धक बनेगा। सदस्यों से चन्दा प्राप्त करना, सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर तथा अन्य अभिलेख तैयार करना एवं उनका रख–रखाव महामन्त्री/महाप्रबन्धक ही करेगा। राजकीय, अराजकीय, विभागों, संस्थाओं और व्यक्तियों से पत्राचार महाप्रबन्धक करेगा। उत्सवों की रूपरेखा तैयार करेगा तथा संस्था के हर क्रिया कलाप में महामन्त्री/महाप्रबन्धक अग्रणी भूमिका निभाकर अन्तिम निर्णय करेगा जो सर्वमान्य होगा।

द. **उपमन्त्रीः**– उपमंत्री समिति के कार्यों में महाप्रबन्धक की सहायता करेगा तथा उसके निर्देशानुसार दिये गये कार्यो का निर्वहन करेगा।

य. **कोषाध्यक्षः**– सोसाइटी तथा उसके द्वारा संचालित संस्थाओं का वार्षिक आय–व्यय तैयार करने में महामन्त्री/महाप्रबन्धक की सहायता करेगा उसे साधारण सभा से अनुमोदनार्थ समिति के समक्ष महामन्त्री के माध्यम से प्रस्तुत करने में मदद करेगा। समिति के बैंक खातों का परिचालन महामंत्री एवं अध्यक्ष अथवा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा।

9. **उ0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित प्रतिबन्ध :–**

अ. प्रबन्ध समिति की अपनी कार्यवधि के बीच मे होने वाली कोई आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति प्रबन्ध समिति द्वारा बहुमत के आधार पर साधारण सभा के सदस्यों में से की जायेगी जिसका कार्यकाल उस प्रबन्ध समिति के कार्यकाल तक ही होगा।

(क) विद्यालय का पंजीकृत सोसाइटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

(ख) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

(ग) विद्यालय मे कम से कम 10 प्रतिशत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(घ) संस्था द्वारा राज्य सरकार से अनुदान की कोई मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त हैं तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री एजूकेशन, दिल्ली/काउंसिल फॉर दी इन्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है जो उक्त परीक्षा परिषद से सम्बद्धता समाप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।

सत्य प्रतिलिपि

General Manager
Lucknow Public School Samiti
Lucknow

(ङ) संस्था के शिक्षण/शिक्षणेत्तर, कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतन तथा अन्य वेतन नहीं दिये जायेगें।

(च) कर्मचारियों को सेवा शर्तें बताई जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

(छ) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।

(ज) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।।

उक्त शर्तो में बिना शासन के पूर्वानुमोदन के कोई परिवर्तन/परिवर्धन/संशोधन नहीं किया जायेगा।

10. **अविश्वास प्रस्ताव** :

साधारण सभा की इस उद्देश्य से बुलाई गयी बैठक मे प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारी/सदस्य (महामंत्री/महाप्रबन्धक को छोड़कर) को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है परन्तु ऐसा कोई प्रस्ताव कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित हो तथा 2/3 के बहुमत से स्वीकृत हो। इस बैठक में मतदान में वह सदस्य भाग नहीं ले सकेगा। जिसके विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव रखा गया हो। लेकिन उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जायेगा।

11. **सदस्यता का लोप :– निम्न परिस्थितियों मे सदस्यता समाप्त समझी जायेगी**

(अ) निर्धारित अवधि में सदस्यता शुल्क न जमा करने पर।

(ब) सोसाइटी अथवा उसके द्वारा चालित संस्थाओं के हितों के विरूद्ध कार्य करने पर महामन्त्री/महाप्रबन्धक किसी भी सदस्य/पदाधिकारी की सदस्यता समाप्त कर सकता है।

(स) पागल या दिवालिया होने पर।

(द) किसी न्यायालय द्वारा चारित्रिक अपराधी घोषित किये जाने पर।

(य) भारत देश की सार्वभौमिकता के विरूद्ध कार्य करने पर।

(र) लगातार तीन बैठकों मे अनुपस्थित होने पर।

(ल) स्वेच्छा से त्यागपत्र देने पर अथवा अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर।

12. **संस्था का वर्ष** : अप्रैल से मार्च

13. **संस्था का कोष** : किसी मान्यता प्राप्त बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा किया जायेगा।

14. **संस्था की आय–व्यय के साधन** : 1. सदस्यता शुल्क। 2. दान तथा अनुदान। 3. अन्य आर्थिक सहायता। 4. संचालित संस्थाओं में शिक्षण शुल्क छात्रों से। 5. विभागीय परीक्षाएँ कराने पर व्यवस्था शुल्क।

15. **संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण (आडिट)** : संस्था के आय–व्यय का लेखा–जोखा अलग से कैश बुक में रखा जायेगा जिसका परीक्षण/ऑडिट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा किया जायेगा।

सत्य प्रतिलिपि

10.08.2020

General Manager
Lucknow Public School Samiti
Lucknow

16. **नियमों, विनियमों का संशोधन** : नियमों, विनियमों मे संशोधन प्रक्रिया समिति की साधारण सभा के 2/3 बहुमत के आधार पर की जायेगी।

17. **विभागीय तथा अदालती कार्यवाही** : समस्त विभागीय तथा अदालती कार्यवाही महामन्त्री /महाप्रबन्धक द्वारा की जायेगी।

18. **संस्था के अभिलेख** : संस्था के समस्त अभिलेख जैसे–सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, रसीद बुके, कैश बुक, लेजर के रख रखाव का दायित्व महामन्त्री/महाप्रबन्धक को होगा।

19. **विघटन** : संस्था का विघटन रजिस्ट्रेशन एक्ट 21 सन् 1860 की धारा 13 व 14 के अनुसार ही किया जायेगा।

दिनांक : 21.8.20 (सत्य प्रतिलिपि)

हस्ताक्षर

1. 2.

3. 4.

सत्य प्रतिलिपि

10082020

General Manager
Lucknow Public School Samiti
Lucknow

निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
सत्यमेव जयते
लखनऊ मण्डल लखनऊ (उ०प्र०)

ल-75824
फाइल का क्रम ....
आलेख का क्रम ....
आज दिनांक ....05-08-21.......
पत्रावली में रखी गई ...... 1 ...... पृष्ठ ......

उप निबन्धक फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
लखनऊ मण्डल, लखनऊ